राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01355/2023

सुजाता गोठवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुंनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.05.2023
आदेश की दिनांक : 03.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर एपीओ निदेशालय में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.04.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राहूवास, दौसा में बिना किसी प्रशासनिक कारण के किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी एक गर्भवती महिला है जिसका निरन्तर डॉक्टर की देखरेख में ईलाज चल रहा है। अपीलार्थी की देखभाल करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी के पति जो कि दिल्ली पुलिस में दिल्ली में कार्यरत है जबकि झुंझुंनू जिले में रिक्त होने के पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.03.2023 (अनुलग्नक–4) को 7 माह बाद कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 250 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसका पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया,

अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 26.04.2023 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 31.03.2023 (अनुलग्नक–4) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर एपीओ निदेशालय में कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर एपीओ निदेशालय में कार्यरत है। अपीलार्थी को यह निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी आदेश की दिनांक से तीन सप्ताह में समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)